

## कार्यालय- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला शहडोल (म0प्र0)

क्रमांक SW / 5723 / 2022

दिनांक 6.10.2022

प्रति,

1. कुलपति  
शंभूनाथ विश्वविद्यालय शहडोल
2. अधिष्ठाता  
मेडिकल कालेज शहडोल,
3. प्राचार्य  
शासकीय ईजीनियरिंग कालेज शहडोल

विषय:- बिना हेल्मेट धारण किये दो पहिया वाहन चालकों को कार्यालय/ संस्थान में प्रवेश निरूद्ध करने बावत् ।

संदर्भ:- माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट पिटीशन क्रमांक W/P 7436 / 2021 के सन्दर्भ में ।

----00----

उपरोक्त विषयांकित एवं संदर्भ के संबंध में लेख है कि आपके कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी तथा छात्र जो दो पहिया वाहन से आते है उन्हें आदेशित करें कि दो पहिया वाहन का उपयोग करते समय हेल्मेट आवश्यक रूप से धारण करें यदि वे ऐसा नहीं करते है तो कार्यालय/संस्थान में उनका प्रवेश निरूद्ध किया जावे ।

उपरोक्त नियम का पालन न करने पर उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 128 व 129 के अन्तर्गत पुलिस कार्यवाही की जावेगी ।

Va

वंदना वैद्य

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला शहडोल(म.प्र.)

दिनांक .10.2022

क्रमांक- / / / 2022

प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक जिला शहडोल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

वंदना वैद्य

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला शहडोल(म.प्र.)

333  
10-10-22

Estate Off.

10.10.22